

(८१)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल रवालियर सर्किल
कोर्ट रीवा, जिला-रीवा (मोप्र०)

निगरानी ४०७ ३०८-१५



२१
१६.१.१५

- 1- विजय उर्फ़ खोंधा साकेत तनय रव० श्री झूलेराम साकेत उम्र ३७ वर्ष,
- 2- प्रमोद साकेत तनय रव० हरछाठी साकेत उम्र ३२ वर्ष,
- 3- कोदू साकेत तनय रव० श्री मिन्ना साकेत उम्र ५३ वर्ष, सभी निवासी ग्राम-अनन्तपुर, पटवारी हल्का-बोदा, थाना-विश्वविद्यालय, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा मोप्र०

— निगरानीकरण

बनाम्

- 1- राधा वल्लभ गुप्ता तनय रव० मानिकचन्द्र गुप्ता उम्र लगभग ४५ वर्ष,
- 2- शासन मोप्र० द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा मोप्र०

— गैरनिगरानीकरण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा मोप्र० के राजस्व प्रकरण क्रमांक १०८/अप्र०/१३-१४ पारित आदेश दिनांक ०८-१२-१४

निगरानी अंतर्गत धारा ५० मोप्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ ई०

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

- अ- यह कि आराजी खसरा क्रमांक-१८६ रकवा ०.०९ए० स्थित ग्राम-अनन्तपुर, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा मोप्र० की भूमि आवेदकगण की पैत्रिक भूमि है। जिसमें सभी आवेदकगण १०० वर्षों से मकान बनाकर निवास कर रहे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र0-R.307-III/15

जिला-रीवा

विजय उर्फ कोंधा/राधा बल्लभ गुप्ता

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p>	 संदर्भ